दिनांकः–

साक्षी मेडिकल कालेज, भोपाल में सत्र 2016-17 के प्रवेशित छात्रों को निजी चिकित्सा महाविघालयों में पुन:आंवटन/ प्रवेश किये जाने हेतु छात्रों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

1. छात्रोंके आवंटन/प्रवेश एमपी ऑनलाईन पोर्टल dme.mponline.gov.in पर किया जायेगा।

2. छात्रों को काउंसिलिंग संबंधी सूचना एस0एम0एस0 / विज्ञापन / ई–मेल / दूरभाष के माध्यम से यथा संभव दिया जायेगा।

3. आवंटन नीट 2016 की मेरिट के आधार पर तैयार की गयी मेरिट लिस्ट से किया जायेगा।

4. छात्र च्वाईस फिलिंग हेतु पोर्टल पर दिये गये लिंक को क्लिक करने के उपरांत अपने नीट यू.जी 2016 के रोल नं एवं जन्मतिथि के माध्यम से च्वाईस फिलिंग कर पायेगें।

5. छात्रों को प्रक्रिया में भाग लेने हेतु एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर च्वाईस फिलिंग करनी होगी। च्वाईस फिलिंग करते समय छात्र को उसकी प्राथमिकता के आधार पर सभी 05 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का विकल्प दर्ज करना होगा। च्वाईस फिलिंग उपरान्त छात्र को च्वाईस लॉक करना अनिवार्य होगा। च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग निर्धारित समय सीमा में ही किया जाना होगा। छात्र द्वारा च्वाईस लॉक कर दिये जाने के उपरान्त किसी तरह का संशोधन (Edit) संभव नहीं होगा। किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल होना, कम्प्यूटर का फेल होना, तकनीकि त्रुटि, बिजली का जाना इत्यादि को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

   इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह समयावधि के भीतर जल्द से जल्द च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लें एवं अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।

6. च्वाईस फिंलिग के पश्चात छात्र को रूपये–1000/– (रू. एक हजार) ऑनलाईन जमा करना होगा,तभी छात्र की च्वाईस लॉकिंग हो पायेगी, एवं च्वाईस लॉकिंग की रसीद प्राप्त कर सकेगा।

7. च्वाईस फिलिंग के समय छात्र अपना सही ई–मेल एवं मोबाईल नंबर दर्ज करें। आवंटन परिणाम जारी होने के उपरान्त आवंटन पत्र सही ई–मेल एवं मोबाईल नंबर प्रविष्ट करने पर ही डाउनलोड होगा।

8. छात्रों को नवीन आवंटन उनके विकल्प एवं मेरिट का परस्पर मिलान करते हुये किया जायेगा।

9 मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी छात्रों को आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। स्थानीय निवासी छात्रों के आवंटन के उपरान्त ही राज्य के बाहर के छात्रों का आवंटन होगा।

10. आवंटन उपरान्त छात्र को आवंटित संस्था में समय सारणी में दर्शाई समय सीमा में प्रवेश पूर्ण करना होगा।

11. प्रवेश के समय छात्र को नवीन आवंटित/प्रवेशित निजी चिकित्सा महाविद्यालय की वर्ष 2016–17 की निर्धारित फीस संबधित निजी स्वशासी महाविद्यालय में वर्तमान सत्र से जमा कराना होगा। पाठयक्रम पूर्ण होने तक प्रत्येक सत्र में यही फीस देय होगी।

12. प्रवेशित छात्रों को अपने मूल दस्तावेज पूर्व में प्रवेशित निजी मेडिकल कालेज से स्वयं प्राप्त कर नवीन संस्था में जमा कराने होंगे।

13. संबंधित प्रश्नों के समाधान एवं स्पष्टीकरण हेतु mpugpg2018@gmail.com पर मेल करे।

14. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक चिकित्सा शिक्षा का निर्णय मान्य होगा।

15.02.19

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश

15/2/19